तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
2-1-2021	लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर
3-2-2021	पत्रावली प्रस्तुत हुई। लैण्ड होल्डर तहसीलदार, गंगापुर सिटी उपस्थित है। लैण्ड होल्डर ने स्वयं के बयान दर्ज करवा कर अपनी साक्ष्य पूर्ण की। वास्ते बहस पत्रावली दि० 9-2-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9/2/21	लैण्ड होल्डर तहसीलदार उप० है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत 177 RTAct स्वीकार किया जाकर भूमि ख०नं० 5360/1.17 हे० को सिवायचक घोषित किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय
/2019 | 5.08.2019 | 9.2.2019

रकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

मनलाल पुत्र कन्हैया लाल जाति ढोली निवासी ज्ञान रश्मि स्कूल के पास, र्ड न0 35 गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

स्थित :—लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर. टी. एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईकलॉ वार मंडल उदेईकलॉ स के आराजी ख0न0 5360 रकबा 1.17 है0 नलाल पुत्र कन्हैया लाल ढोली निवासी ज्ञानरश्मि स्कूल के पास, गंगापुर टी के नाम जमाबंदी संवत 2073—2076 खातेदारी मे दर्ज है। उक्त राजीयात मे अप्रार्थी ने बिना किसी सक्षम स्वीकृत के भूमि को कृषि से षि में रूपान्तरित किया है। भूमि ख0न0 5360 रकबा 1.17 है0 कृषि भूमि जिसमे अप्रार्थी द्वारा बिना कोई भू परिवर्तन कराये कृषि भूमि को अकृषि रिवर्तित किया है जो अवैधानिक है तथा राजस्थान काश्तकारी नियमों के गत है और भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः ना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 5360 रकबा 1.17 है0 ग्राम कलॉ स को सिवायचक घोषित किया जावे एवं अप्रार्थी को भूमि से ल किया जावे। भूमि को कब्जा राज मे लिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । र्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ । अतः इसके विरूद्ध एकतरफा ाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 संख्या 885, नकल नक्शा ट्रेस, प्रमाणित प्रति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 019 एवं न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी ... .7.2019 नी मुकदमा सरकार बनाम श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल की निर्णय ते पेश की हैं एवं बयान प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी के हैं। बहस लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी ...

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि के रूप मे उपयोग मे लिया जिसके बारे मे अप्रार्थी को कई बार अवगत करा देने के बाद भी अप्रार्थी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नही की है, इस कारण उक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे, अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जावे एवं भूमि को कब्जे राज मे लिया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 885 में श्यामलाल पुत्र कन्हैयालाल ढोली के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी मे अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.5.2019 के अनुसार खातेदार द्वारा भूमि में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूमि को कृषि से अकृषि उपयोग में परिवर्तित कर दिया गया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा एल.आर.एक्ट सहपठित धारा 90 ए लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मे कार्यवाही की गई इस अभिलेख से खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि का सक्षम स्वीकृति के बिना कृषि से अकृषि मे भूमि परिवर्तन किया जाना पाया जाता है। खातेदार अप्रार्थी का यह कार्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 न0 5360 रकबा 1.17 है0 ग्राम उदेईकलॉ स को सिवायचक घोषित किया जाता है। यह भूमि खातेदार अप्रार्थी की खातेदारी से कम की जाकर सिवायचक दर्ज की जावे एवं कब्जेराज मे ली जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी